<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

दिनांकः 24.10.2025

<u>ऑनलाईन विस्तृत आवेदन एवं सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में</u>

आर.ए.एस / आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के दिनांक 08.10.2025 को घोषित मुख्य परीक्षा परीणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :–

1. **ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम :–** उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आयोग की वेबसाईट पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का सेवावार पदक्रम संलग्न किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी SSO पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में "My Recruitment" Section के अन्तर्गत Detailed Form cum Scrutiny लिंक को क्लिक कर विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरें। **आयोग द्वारा ऑफलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरने के लिए उक्त लिंक केवल दिनांक 30.10.2025 से 10.11.2025 (रात्रि 12 बजे) तक उपलब्ध रहेगा, इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

(A) सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जाने के संबंध में विशेष दिशा–निर्देश :–

i) अभ्यर्थियों से उक्त परीक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र (NSA) / एन.जी.ई.(NGE) / अनुसूचित क्षेत्र (SA) हेतु एक ही सेवा प्राथमिकता क्रम प्रपत्र भरवाया जा रहा है।

ii) सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में उक्त परीक्षा के शुद्धि पत्र दिनांक 17.02.2025 में उल्लेखित राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं को संशोधित पद क्रम आंवटित किया गया है। इस प्रकार सेवावार संशोधित पद क्रम संलग्न है। अतः उक्तानुसार जारी सेवा प्रपत्र को ध्यान में रखते हुए ही सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।

iii) SA- अनुसूचित क्षेत्र (SA) के अभ्यथियों द्वारा SA एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (NSA) दोनों प्रकार की सेवाओं के लिये प्राथमिकता क्रम भरा जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर शेष सेवा के कोई प्राथमिकता नहीं होना उपधारित किया जायेगा।

iv) Non Gezetted Employee (NGE)–सेवा प्राथमिकता क्रम प्रपत्र में राज्य सेवा के जिन पदों में एन.जी.ई. (NGE) के पद शामिल है, उन्हें स्टार मार्क (*) से दर्शाया गया है। एन.जी.ई.(NGE) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एन.जी.ई.(NGE) पदों {स्टार मार्क (*)} वाली सेवाओं के सेवा प्राथमिकता क्रम अभ्यर्थी द्वारा भरे गये मूल सेवा प्राथमिकता क्रम के आधार पर स्वतः ही एन.जी.ई. के सेवा प्राथमिकता क्रम माने जायेगें।

v) अभ्यर्थी द्वारा सेवा प्राथमिकता प्रपत्र में जिन सेवाओं को प्राथमिकता क्रम दिया जायेगा, उन्हें केवल उन्हीं सेवाओं हेतु विचारित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जिन सेवाओं को प्राथमिकता क्रम में नहीं भरा जायेगा, उन सेवाओं हेतु अभ्यर्थी का स्वयं द्वारा परित्याग मानते हुए विचारित नहीं किया जायेगा तथा उन सेवाओं हेतु वह नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

vi) अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के दौरान 'SAVE & NEXT' Button के माध्यम से भरी गई सूचना को SAVE कर सकता है। यदि अभ्यर्थी भरी गई सूचना में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह "Final Submit" Button पर Click करने से पूर्व भरी गई सूचना को "EDIT/UPDATE" Button पर Click करके EDIT/UPDATE कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता प्रपत्र Final Submit किये जाने के उपरांत कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा तथा इस हेतु अन्य कोई अवसर भी देय नहीं होगा। **अतः सेवा प्राथमिकता क्रम को Final Submit करने से पूर्व भरी गई सेवा प्राथमिकताओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेवें।**

2. केवल उत्कृष्ट खिलाडी (SP), भूतपर्व सैनिक (EX), विभागीय कर्मचारी (DC) और बहुविकलांगता श्रेणी (Multiple Disability) के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरे जाने के उपरांत दिनांक 11.11.2025 तक अपने विस्तृत आवेदन पत्र मय सेवा प्राथमिकता क्रम (02 प्रतियों में) एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करावें। **शेष सभी अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र मय सेवा प्राथमिकता क्रम (02 प्रतियों में) एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति के साक्षात्कार के समय साथ लावें।**

3. विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जावेगा।

संलग्नः उक्तानुसार।

(रामनिवास मेहता)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर		
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य परीक्षा, 2024		
सेवा प्राथमिकता कम प्रपत्र (SERVICE PREFERENCE FOR SA, NSA & NGE)		

अभ्यर्थी का नाम – रोल न.–

पिता का नाम – श्रेणी –

एप्लिकेशन आई.डी :–

S.NO.	DEPARTMENTNAME	PREFERENCE
1	RAJASTHAN ADMINISTRATIVE SERVICE *	
2	RAJASTHAN POLICE SERVICE *	
3	RAJASTHAN ACCOUNTS SERVICE *	
4	RAJASTHAN COOPERATIVE SERVICE *	
5	RAJASTHAN EMPLOYMENT SERVICE	
6	RAJASTHAN INDUSTRIES SERVICE	
7	RAJASTHAN STATE INSURANCE SERVICE *	
8	RAJASTHAN COMMERCIAL TAXES SERVICE *	
9	RAJASTHAN FOOD AND CIVIL SUPPLY SERVICE	
10	RAJASTHAN TRANSPORT SERVICE	
11	RAJASTHAN INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES *	
12	RAJASTHAN RURAL DEVELOPMENT SERVICES *	
13	RAJASTHAN LABOUR WELFARE SERVICE	
14	RAJASTHAN STATE AGRICULTURE (MARKETING OFFICER) MARKETING SERVICE *	
15	RAJASTHAN DEVSTHAN SUBORDINATE SERVICE (NSA)	
16	RAJASTHAN DEVSTHAN SUBORDINATE SERVICE (SA)	
17	RAJASTHAN COOPERATIVE SUBORDINATE SERVICE (NSA)	
18	RAJASTHAN COOPERATIVE SUBORDINATE SERVICE (SA)	
19	RAJASTHAN TEHSILDAR SERVICE (NSA)	
20	RAJASTHAN TEHSILDAR SERVICE (SA)	
21	RAJASTHAN EMPLOYMENT SUBORDINATE SERVICE (NSA)	
22	RAJASTHAN INDUSTRIES SUBORDINATE SERVICE (NSA)	
23	RAJASTHAN FOOD AND CIVIL SUPPLY SUBORDINATE SEVICE (NSA)	
24	RAJASTHAN FOOD AND CIVIL SUPPLY SUBORDINATE SEVICE (SA)	
25	RAJASTHAN INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SUBORDINATE SERVICE (NSA)	
26	RAJASTHAN JUSTICE AND EMPOWERMENT SUBORDINATE SERVICE (PROBATION AND PRISONER WELFARE OFFICER) (SA)	
27	RAJASTHAN JUSTICE AND EMPOWERMENT SUBORDINATE SERVICE (SOCIAL SECURITY OFFICER) (NSA)	
28	RAJASTHAN JUSTICE AND EMPOWERMENT SUBORDINATE SERVICE (SOCIAL SECURITY OFFICER) (SA)	
29	RAJASTHAN JUSTICE AND EMPOWERMENT SUBORDINATE SERVICE (DISTRICT PROBATION AND SOCIAL WELFARE OFFICER) (NSA)	
30	RAJASTHAN JUSTICE AND EMPOWERMENT SUBORDINATE SERVICE (DISTRICT PROBATION AND SOCIAL WELFARE OFFICER) (SA)	
31	RAJASTHAN LABOUR WELFARE SUBORDINATE SERVICE (NSA)	
32	RAJASTHAN LABOUR WELFARE SUBORDINATE SERVICE (SA)	
33	RAJASTHAN SUBORDINATE SERVICE " STATE AGRICULTURE MARKETING DEPARTMENT SECTION" (JUNIOR MARKETING OFFICER) (NSA)	

विशेष बिन्दु :–उपरोक्तानुसार सारणी के कम संख्या– 1 से 4, 7, 8, 11, 12 तथा 14 में NGE श्रेणी के पद भी सम्मलित है जिन्हे स्टार मार्क (*) से दर्शाया गया है। NGE सेवा के प्राथमिकता कम अलग से नही भरवाये जायेगे। NGE श्रेणी में आवेदन करने वाले अभयर्थी सूचित रहे कि इन कम संख्या वाली सेवाओं में भरे गये प्राथमिकता कम के आधार पर स्वतः ही NGE श्रेणी के प्राथमिकता कम माने जायेंगे।

नोट :–

1. सेवा प्राथमिकता कम भरा जाना अनिवार्य है। प्राथमिकता कम भरे जाने के उपरान्त भरे गये प्राथमिकता कम में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार्य नही होगा।
2. अनुसूचित क्षेत्र (SA) के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र (NSA) तथा अनुसूचित क्षेत्र (SA) दोनो सेवा प्राथमिकता कम अवश्य भरे ताकि उन्हे अनुसूचित क्षेत्र (SA) तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र (NSA) दोनो पदो हेतु विचारित किया जा सके।
3. NGE वर्ग के सेवा प्राथमिकता कम मूल सेवा प्राथमिकता कम के अनुसार ही माने जायेंगे।
4. अभ्यर्थी के द्वारा सेवा प्राथमिकता प्रपत्र में भरे गये प्राथमिकता कम की सेवाओं हेतु ही उन्हे विचारित किया जायेगा।

रामनिवास मेहता
(सचिव)